संख्या-32/2015/1299/35-3-2015-1(19)/2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
सिध्दार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2015**

विषयः वर्ष 2014-15 मे स्वीकृत सोलर लाइट स्थापना की परियोजना के स्थल परिर्वतन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, सिध्दार्थनगर के पत्र संख्याः 310/ बा. ए./ 2014-15 दिनांक 09 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ मे मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-880/ 35-3-2014-1(19)/ 2014 दिनांकः 11 सितम्बर, 2014 द्वारा स्वीकृत विकास-खण्ड शोहरतगढ़ के ग्राम-टड़िया (तनिया) में सोलर लाइट की स्थापना के स्थान पर ग्राम-मुडिया खुर्द में सोलर लाइट स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। सन्दर्भित शासनादेश मे अनुमोदित लागत के अर्न्तगत कार्य पूर्ण किया जायेगा, कोई भी अतिरिक्त धनराशि देय नही होगी।

सन्दर्भित शासनादेश संख्या- 880 / 35-3-2014-1 (19) / 2014 दिनांकः 11 सितम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

संख्या-32/2015/1299(1) /35-3-2015-1(19) / 2014 तद दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वैकल्पिक उर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, सिध्दार्थ नगर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / वैकल्पिक उर्जा अनुभाग-1।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बस्ती मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिध्दार्थ नगर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in